RESEARCH REVIEW JOURNALS
Volume-04
Issue-02
February-2019

ISSN: 2455-3085 (Online)
RESEARCH REVIEW International Journal of Multidisciplinary
www.rrjournals.com[UGC Listed Journal]

पारिवारिक विघटन : वर्तमान समय का सच

डॉ. राजकुमार सिंह बोलिया

सह–आचार्य, समाजशास्त्र, मा.ला.व.रा. महाविद्यालय, भीलवाड़ा (राज.)

प्रस्तावना :

सामाजिक व्यवस्था परिवर्तनशील व्यवस्था होती है। समाज और सा.व्यवस्था में बदलाव सदैव होता ही रहता है। परिवर्तन एक शाश्वत सत्य है और समाज की कोई भी संस्था इससे अछूती नहीं रहती है। संगठन एवं विघटन सभी सामाजिक संस्थाओं में होते रहते हैं। कोई भी समाज पूर्णतः संगठित नहीं होता और न ही पूर्णतः विघटित होता है। कभी संगठन की मात्रा अधिक रहती है और कभी विघटन की। एक समय ऐसा भी आता है कि जब विघटन बहुत अधिक मात्रा में हो जाता है तब पुर्नगठन की प्रक्रिया प्रारम्भ होती है और फलस्वरूप समाज में संगठन फिर से निर्मित होने लगता है। एक संस्था के रूप में परिवार का पूर्ण विघटन कभी नहीं हुआ और न ही भविष्य में कभी हो सकता है। परन्तु पारिवारिक इकाई का विघटन तो हो ही सकता है और होता भी रहा है। इतिहास में ऐसे कई उदाहरण हमारे सामने भरे पड़े है जहाँ बड़े–बड़े ओर अच्छे नामी गिरामी परिवारो में विघटन हम देख सकते है।

संगठन में परस्पर संतोषप्रद सम्बन्धों की धारणा निहित है तो विघटन में इसके विपरीत है। विघटन को हम बड़े पैमानें में अड़चन, निश्चित कार्यो में ठहराव या गड़गड़ के रूप में देख सकते हैं। इसका पैमाना या मापदण्ड कार्य से है। यदि समाज में कोई समूह, समिति, संस्था, समुदाय या व्यक्ति अपने निर्धारित कार्य नहीं करें तो यह स्थिति उसके विघटन के प्रतीक के रूप में दिखायी देगी। पारिवारिक संगठन उद्देश्यों की एकता, व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं की एकता और हितों की एकता इन तीनों लक्षणों से बना होता है। इसके उलट अगर कोई स्थिति निर्मित होती है तो पारिवारिक संगठन टूटने की कगार पर पहुँच जाता है।

पारिवारिक विघटन में स्थिती के अनुरूप कार्यों के नहीं करने पर परिवार के सदस्यों के सम्बन्धों में उत्पन्न बिखराव पारिवारिक विघटन कहलाता है इलियट और मैरिल ने भी इसे कार्यात्मक असंतुलन के रूप में देखा है उनके अनुसार पारिवारिक विघटन केवल पति–पत्नी के मध्य तनाव ही नहीं होता वरन् इसमें माता–पिता एवं संतानो के मध्य होने वाला तनाव भी सम्मिलित होता है। स्पष्ट है कि पारिवारिक विघटन में तो सभी सदस्यों के सम्बन्धों के मध्य उत्पन्न तनाव सम्मिलित है। परन्तु सबसे अधिक महत्वपूर्ण वैवाहिक सम्बन्धों को तोड़ने वाले पति–पत्नी के सम्बन्धों के मध्य उत्पन्न तनाव है। न्यूमेयर के अनुसार ''विस्तृत अर्थों में पारिवारिक विघटन से तात्पर्य एकता विश्वासपात्रता, एकमतता एवं पारिवारिक इकाई के सामान्य कार्यो का नष्ट होना है।'' इसको हम विस्तृत अर्थों में कह सकते हैं कि परिवार के सदस्यों के मध्य एकता भंग होना सदस्यों में पारस्परिक निष्ठा का अभाव होना, पारस्परिक विश्वास का अभाव पारिवारिक संगठन को तार–तार कर देता है। विलियम जे गुडे ने भी परिवार के सदस्यों द्वारा कर्तव्यों का उचित रूप से पालन नहीं किये जाने एवं सामाजिक कार्यों के ढाँचें में टूट फूट के कारण पारिवारिक इकाई के नष्ट होने को पारिवारिक विघटन माना है। सदस्य यदि अपने कार्यो को ठीक ढंग से नहीं करते है तो भी परिवार विघटित होता जाता है। निष्कर्षतः हम कह सकते हैं कि पारिवारिक विघटन का व्यापक पैमाने पर अर्थ पारिवारिक सम्बन्धो में दरार अर्थात् पारिवारिक सम्बन्धों के टूटने से है।

पारिवारिक विघटन के मुख्य कारण –

पारिवारिक विघटन होने के कई कारणों मे से मुख्यतः आर्थिक राजनैतिक, सामाजिक एवं दार्शनिक कारण है । औद्योगिक क्रांति, रहन–सहन के स्तर में परिवर्तन, महिलाओं की आर्थिक निर्भरता, रोजगार में लगी हुई माता, महिलाओं को मताधिकार एवं राजनीति में भाग लेने की स्वतंत्रता, माता–पिता पर राज्य के प्रभुसत्ता सम्पन्न अधिकार, जनसंख्या की गतिशीलता, महिलाओं की उच्च शिक्षा, यौन नैतिकता में परिवर्तन, नगरीकरण, नगरीय, व्यावसायिक मनोरंजन, विवाह, के धार्मिक सिद्वांतो की समाप्ति, भौतिकवादी एवं व्यक्तिवादी दार्शनिकता आदि है। इनके अलावा भी अनेक और भी कारण है जो वर्तमान में पारिवारिक विघटन को बढ़ावा दे रहे हैं जैसे–बैमेल विवाह, यौन सम्बन्धों में असंतुष्टि, अन्य पुरूष या स्त्री से यौन सम्बन्ध, नपुसंकता या बांझपन, पागलपन, व्यक्तिगत दोष, सम्बन्धियों का अनावश्यक हस्तक्षेप, बलात्कार जैसी घटनाएँ, सामाजिक मूल्यों में विभिन्नता, सांस्कृतिक विभिन्नता महिलाओं की आर्थिक स्वतंत्रता, प्रतिकूल परिस्थितियां, निर्धनता और बेरोजगारी, दो पीढ़ियों के बीच वैचारिक मतभेद, आधुनिकता

RRIJM 2015, All Rights Reserved

एवं प्राचीन संस्कारों के बीच सांमजस्यता की कमी, तकनीकी एवं प्रौद्योगिकता की प्रगति, सोशल मीडिया आदि।

पारिवारिक विघटन के परिणाम –

पारिवारिक विघटन के कारण समाज में कई प्रकार के परिणाम जो मुख्यतः इस प्रकार है–

- पारिवारिक विघटन से पति–पत्नी के बीच यौन इच्छा की पूर्ति रूक जाती है।
- सदस्यों में मित्रता, स्नेह, सुरक्षा की भावना समाप्त हो जाती है।
- व्यस्कों के आदर्श कार्यो का अन्त हो जाता है जो कि बालकों को अनुकरणीय बनाती है।
- बच्चों के पालन पोषण में समस्याएं आती हैं।
- परिवार की आर्थिक समस्याओं में वृद्धि होती जाती है।
- गृहस्थी सम्बन्धी कार्यों का एवं उत्तरदायित्वों का पुनः वितरण करना पड़ता है।
- पति–पत्नी जो भी परिवार में अकेला रह जाएगा उस पर अतिरिक्त बोझ या कार्यभार आ जाता है।

पारिवारिक विघटन के अलग–अलग विभिन्न स्वरूपों में मुख्यतः इच्छित अलगाव पृथक्करण, तलाक, निरस्तीकरण निहित होते हैं। जब पति–पत्नी के बीच सामंजस्य की समस्या जन्म लेती है और पारस्परिक समायोजन के अभाव में अपनी स्व–इच्छा से एक दूसरे से अलग हो जाते है तो इसको इच्छित अलगाव की श्रेणी में रख सकते हैं। ऐसे अलगाव में उनके पुनः मिलन की सम्भावना बनी रहती है। इसको हम तलाक पूर्व की अवस्था के रूप में भी देख सकते हैं। पृथक्करण में पति–पत्नी के बीच अचानक हुए संघर्ष को कम करने के रूप में भी देख सकते हैं। यह पति–पत्नी की सहमति से भी हो सकता है या न्यायालय की स्वीकृति से भी हो सकता है। हमारे देश में परिवार एवं विवाह से सम्बन्धित अधिनियमों में न्यायालयीन पृथक्करण की व्यवस्था है तलाक या विवाह विच्छेद को हम पति–पत्नि के सम्बन्ध विच्छेद की अन्तिम वैधानिक अवस्था भी कह सकते हैं। वर्तमान युग में तलाक की दर बढती जा रही है यहां विवाह के एक दिन के पश्चात से लेकर विवाह के पचास वर्षों के बाद भी तलाक होने के उदाहरण हमारे सामने विद्यमान हैं। तलाक से न केवल पति–पत्नी ही प्रभावित होते है वरन् बच्चों,, रिश्तेदारों, समुदाय एवं संपूर्ण समाज पर भी इसका प्रभाव पड़ता है।

विवाह विच्छेद जहां लाभप्रद प्रभाव है वहीं दूसरी ओर हानिप्रद प्रभाव भी दिखायी देते हैं। यह अवांछित विवाहों से, वैवाहिक साथियों को मुक्ति दिलाता है व रोज–रोज के संघर्षों व उनसे उत्पन्न मानसिक तनावों को भी कम करता है। वहीं दूसरे अच्छे साथी से विवाह होने, की सम्भावना को भी जन्म देता है। तलाक पुरूषों की अपेक्षा महिलाओं के लिए अधिक गम्भीर विषय है। निरस्तीकरण से तात्पर्य न्यायालय द्वारा किसी विवाह को अवैध घोषित कर उस विवाह को निरस्त घोषित कर देना है। विवाह को गैर कानूनी घोषित कर पति–पत्नी के सम्बन्धों को अमान्य कर दिया जाता है तो भी ये पारिवारिक विघटन का ही रूप होता है। भारत में, हिन्दू विवाह अधिनियम 1955 के अनुसार नंपुसकता, पागलपन, दोनों पक्षों की स्वीकृति का अभाव या पत्नी का किसी अन्य पुरूष से गर्भवती होने के कारण निरस्तीकरण की डिक्री दी जा सकती है। इन पारिवारिक विघटनों के स्वरूपों के अलावा स्नेहरिक्त परिवारों को भी इसी श्रेणी के अन्तर्गत रख सकते हैं जहां परिवार के सदस्यों में निष्ठा का अभाव पाया जाता है परिवारों में मारपीट या खुले में संघर्ष नहीं होता, सदस्यों में खुशी या आनन्द के संबंध भी नहीं रहते हैं सदस्यों में परस्पर कम बातचीत, कम विचार विमर्श होता हो सदस्यों के स्नेह को स्वाभाविक अभिव्यक्ति को दबाया जाता हो, रूकावट पैदा की जाती हो और केवल पति–पत्नी मात्र अपने बच्चों की खातिर तलाक या विवाह विच्छेद को टालते रहते हैं। ऐसे परिवार बाहर से तो ठीक ठाक दिखते हैं परन्तु आन्तरिक रूप से उनके एकता व प्रसन्नता नहीं रहती है।

उपाय :

ओर अन्त में पारिवारिक विघटन को रोकने एवं टालने के लिये हम जो उपाय कर सकते हैं उनमें,

- **परिवार में आर्थिक सुरक्षा** का प्रावधान परिवार की मुख्य आवश्यकता है, परिवार की न्यूनतम आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके ऐसा प्रत्येक परिवार के पास इतना संपति का संग्रहण तो होना ही चाहिए । परिवार अपने सदस्यों की बीमारी, दुर्घटनाओं, वृद्धावस्था, बेकारी, मृत्यु जैसे विपतियों के समय उनकी सहायता कर सके व उन्हें इन विपत्तियों के विरूद्व सुरक्षा का आश्वासन दे सके ।
- **पारिवारिक संस्कृति** के अंतर्गत परिवार अपनी पारिवारिक संस्कृति जिसमें धर्म, शिक्षा, जीवन आदि से संबंधित संस्कारों को बचाए रखे एवं सदस्यों में भाईचारे एवं सम्बन्धों को घनिष्ठ बनाए, विवाहों को स्थायीत्व प्रदान करें ओर संस्कारों की एक सुदृढ व्यवस्था सदस्यों के बीच बनाए। परिवार एवं विवाह की सलाहकार समितियों को स्थापित किया जाए। इस प्रकार को सलाहकार समितियॉ पश्चिमी देशों में अत्यन्त ही सहायक सिद्व हो रही हैं। भारत में इन

सलाहकार समितियों के निर्माण की काफी गुजांइश है।

- **पारिवारिक अनुसंधान :** परिवार के सदस्यों के बीच होने वाले व्यवहार के कई पहलुओं का वैज्ञानिक एवं निष्पक्ष अध्ययन आवश्यक है, भारत में परिवार व विवाह के सम्बन्ध में अनुसंधान कार्य नहीं के बराबर हुए हैं इस प्रकार के अनुसंधानात्मक कार्य पारिवारिक विघटन को रोकने में काफी कारगर सिद्व हो सकते हैं और हमारे समाज को एक नयी दिशा में ले जाने में अपनी सार्थक भूमिका निभा सकते हैं।

संदर्भ सूची –

1. Elliott End Merrill - Social Disorganization, Harper, 1961
2. Nimkaff : Marriage and the family, Houghton Mifflin Company, 1947
3. Barnes, Society in Tradition, 1952
4. E.W. Burges & H.J. Locke, The family, The American Book Company, 1945
5. Hindu Marriage act 1955, Section 10
6. William J. Goode, The family Prentice Hall, 1964

RRIJM 2015, All Rights Reserved